पूरी तरह डिजिटल होगा राज्य का रेवेन्यू बोर्ड: श्रीनिवास

राजस्व मंडल के अध्यक्ष श्री वी श्रीनिवास चित्तौड़गढ आए, अधिकारियों के साथ बैठकर की राजस्व मामलों के निस्तारण की समीक्षा, जिला कलक्टर कोर्ट का डिसीजन किया आरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड

प्रतापगढ़, 26 अक्टूबर। राजस्व मंडल सहित विभिन्न राजस्व न्यायालयों में दर्ज होने वाले मुकदमों को अब ऑनलाईन किया जा रहा है। मुकदमों की तारीखें, फैसलों सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी ऑनलाइन ही आमजन को मिल सकेगी। आरसीएमएस पोर्टल के जरिए इस तरह संपूर्ण ढंग से डिजिटल होने वाला यह देश का पहला राजस्व बोर्ड होगा।

गुरुवार को चित्तौड़गढ़ आए राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष श्री वी. श्रीनिवास ने यहां डीआरडीए सभागार में अधिकारियों की बैठक के दौरान चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर न्यायालय के निर्णय को पोर्टल पर अपलोड किया और उसे डाउनलोड करके दिखाया। इस मौके पर उन्होंने पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बताते हुए कहा कि राजस्थान डिजिटल रेवेन्यू बोर्ड का औपचारिक शुभारंभ 2 नवंबर को राज्य स्तर से किया जाएगा। इसके पहले चरण में राजस्व मंडल के साथ-साथ समस्त जिला कलक्टर न्यायालय, 23 आरएए कोर्ट, 37 एडीएम तथा करीब 350 एसडीएम कोर्ट ऑनलाईन हो जाएंगे। इससे प्रकरणों में पारदर्शिता बढेगी एवं प्रक्रिया का साधारणीकरण होने से वादी की न्याय यात्रा आसान होगी। उन्होंने इस दौरान चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर श्री इंद्रजीत सिंह एवं आरएए श्री इंद्रसिंह राव द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्य की सराहना की और डिजिटाईजेशन में अग्रणी जिला होने पर बधाई दी।

इस दौरान राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सर्वाधिक राजस्व मुकदमों वाला राज्य है तथा राजस्व मंडल में करीब 65 हजार मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि रिकॉर्ड संधारण, निर्णय तथा प्रक्रिया में रहने वाली त्रुटियों के कारण मुकदमों की संख्या बढती है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि किसी भी स्तर पर यह लापरवाही नहीं हो। मंदिर की भूमि के खातेदारी अधिकार नहीं जारी होने चाहिए। निर्णयों में गुणवत्ता व पारदर्शिता होनी चाहिए। म्यूटेशन, जमाबंदी आदि कार्य पूरी जवाबदेही के साथ होने चाहिए। महिलाओं के राजस्व अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। राजस्व अधिकारी नॉर्म्स के अनुसार निरीक्षण करें तथा नियमों की पालना सुनिश्चित करें। सरकार के खिलाफ आने वाले निर्णयों पर तत्काल आगामी कार्यवाही होनी चाहिए। एसडीएम अन्य व्यवस्तताओं व कार्यों के बीच राजस्व न्यायालय में भी नियमित समय दें और मामलों का निस्तारण करें। आपके पास अत्यधिक पेंडेंसी नहीं दिखनी चाहिए।

रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य श्री श्यामलाल गुर्जर ने इस दौरान कहा कि नए उपखंड, तहसील कार्यालय खुलने से फाइलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिमांड की प्रवृत्ति से भी मुकदमों की संख्या बढती है। जब राजस्व कोर्ट के सामने सारे फैक्ट व एविडेंस है तो मामला डिसाइड करना चाहिए।

जिला कलक्टर श्री इंद्रजीत सिंह एवं राजस्व अपील प्राधिकारी श्री इंद्रसिंह राव ने जिले में राजस्व वादों की स्थिति व डिजिटाइजेशन की प्रगति से अवगत कराया और कहा कि राजस्व मंडल अध्यक्ष की अपेक्षा के अनुसार सभी राजस्व न्यायालयों को समयबद्ध ढंग से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जिला कलक्टर ने भरोसा दिलाया कि ऑनलाईन रेवेन्यू कोर्ट के मामले में चित्तौड़गढ़ मॉडल जिला बनकर उभरेगा। आरएए श्री इंद्रसिंह राव ने पीपीपी प्रजेंटेशन के जरिए राजस्व वादों को ऑनलाईन करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया। एसडीएम श्री सुरेश खटीक ने पीपीपी के जरिए जिले की राजस्व स्थिति तथा राजस्व नक्शों के डिजिटाईजेशन, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड सेग्रीटेशन आदि की जानकारी दी।

इस दौरान एडीएम (भू अभिलेख)श्री ज्ञानमल खटीक, यूआईटी सचिव श्री सीडी चारण, एसडीएम श्री पंकज शर्मा, रागिनी डामोर, श्री अभिषेक गोयल, श्री रामचंद्र खटीक सहित समस्त एसडीएम, तहसीलदार आदि राजस्व अधिकारी मौजूद थे।

इस दौरान अभिभाषक संघ, कानूनगो संघ, पटवार संघ व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ से जुड़े लोगों ने राजस्व मंडल अध्यक्ष का उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए अभिनंदन किया। राजस्व मंडल अध्यक्ष ने

राजस्व वादों के समयबद्ध व समुचित निस्तारण में सभी की भूमिका पर चर्चा करते हुए सकारात्मक रवैये से काम करने की बात कही।